सके लिये शेष प्रतिवादीगण का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा
ा न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मुताबिक तहसीलदार जायल से
प्रस्ताव अनुसार मौजा डेह तहसील–जायल के खेत खसरा नं. 5 रकबा 2.2986
वादी श्रवण पुत्र प्रहलाद को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से
ाबत प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार
ी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

त वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
री अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अतः मुताबिक तहसीलदार जायल से प्राप्त
स्ताव अनुसार मौजा डेह तहसील–जायल के खेत खसरा नं. 5 रकबा 2.2986 हैक्टेयर
श्रवण पुत्र प्रहलाद को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से विभाजन
प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।
वादी श्रवण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 5 रकबा 2.
2986 रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
शेष प्रतिवादीण के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये
मामला भूमि अन्तरण का होने से शेष प्रतिवादीण का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क
राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
4. मुतदाविया खसरा बैंक के रहन होने पर संबंधित बैंक को सूचित हों।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी
कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

Scanned with CamScanner